राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001 दूरभाष नं. 0141–2373904 ईमेल–scr-rj@nic.in

क्रमांक/फा/संस्था–I/क.स.भर्ती-2024/भूप्रआ/2025/04017/ दिनांक:- signed date

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक,संयुक्त सीधी भर्ती -2024 से चयनित 20 अभ्यर्थियों (गैर अनुसूचित) को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग,जयपुर के पत्र राजकाज रेफरेन्स नम्बर 179090269 दिनांक 19.09.2025 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम,1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15 (1) वित्त / नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee)के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- रूपये प्रतिमाह एवं तत्पश्चात परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर निम्नलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 02 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया जाकर,उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

S.N	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	DOB	CAT.	SEL. CAT.	ALLOTMENT OFFICE
1	169	412987	VISHAL SHARMA	SHIV SINGH SHARMA	05.09.1996	GEN	GEN_A	S.O. JAIPUR
2	434	428825	MOHD SHAH FAISAL	MOHD RAFEEK	04.09.1997	OBC	GEN_A	HEAD OFFICE
3	694	401942	PREM SINGH	BHAWANI SINGH	20.05.1999	EWS	GEN_A	S.O. JODHPUR
4	726	428173	NIKHIL TAILOR	BANWARI LAL	15.05.2002	OBC	GEN_A	S.O.JAIPUR
5	738	441490	PAWAN KUMAR JALINDRA	KANHAIYA LAL JALINDRA	25.06.1998	OBC	GEN_A	S.O. JODHPUR
6	833	404692	KULDEEP LEEL	SATYA NARAYAN	01.07.1996	OBC	GEN_A	S.O. JODHPUR
7	844	446981	SUNIL PRAJAPAT	SITA RAM PRAJAPAT	10.10.2004	OBC	GEN_A	S.O. JODHPUR
8	1492	415273	CHANDRA SHEKHAR TANWAR	TARA CHAND TANWAR	09.12.1995	OBC	OBC_A	S.O. UDAIPUR
9	1525	402474	ASHOK KUMAR	RAMCHANDRA KUMAWAT	08.06.1995	OBC	OBC_A	S.O. BHILWARA
10	1808	419350	ROOP SINGH	GULAB SINGH	12.08.1999	EWS	EWS_A	S.O. JODHPUR
11	1901	431855	PRANJAL CHOUDHARY	RAM CHANDRA DADARWAL	16.06.1999	OBC	GEN_A	HEAD OFFICE
12	1976	427524	POOJA KHANDAL	OM PRAKASH KHANDAL	14.02.1994	EWS	GEN_A	[illegible]UR

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagjeet Singh Monga
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.11.18 17:09:52 IST
Reason: Approved

S.N	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	DOB	CAT.	SEL. CAT.	ALLOTMENT OFFICE
13	2225	402939	DINESH GURJAR	PRATAP RAM	26.09.2001	MBC	MBC_A	S.O.BHILWARA
14	2740	419174	POOJA	RATI RAM	21.03.1999	OBC	OBC_A	S.O. UDAIPUR
15	3312	403582	PINKY PRAJAPAT	GOVIND RAM	14.07.2003	OBC	OBC_A	S.O. AJMER
16	3895	411401	SONU KUMAR	JAGMOHAN SINGH	05.07.1997	SC	SC_A	S.O. UDAIPUR
17	4066	424347	AASHISH JHANGINIYA	MOHAN LAL JHANGINIYA	09.07.2001	SC	SC_A	S.O. UDAIPUR
18	4735	444141	MAHESH CHAND MEENA	MULCHAND MEENA	15.03.2002	ST	ST_A	S.O. UDAIPUR
19	5427	439230	SALONI MEENA	PREM NARAYAN MEENA	24.12.1999	ST	ST_A	S.O. JAIPUR
20	5535	413341	KRISHNA BEEJAWAT	SIRMAUHAR SINGH	02.10.2002	SC	SC_A	S.O. JAIPUR

उक्त नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जा रही है:-

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी निश्चित समयावधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ है तो मय कारण विभाग को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नही करने पर अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 11 (204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 वर्णित दिशा-निर्देशों / सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परिवीक्षा काल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
7. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through proper channel) [illegible] मुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) भी प्रस्तुत करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagjeet Singh Monga
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.11.18 17:09:52 IST
Reason: Approved

8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1 (5) डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 12 (6) एफडी /रूल्स /05 दिनांक 13.03.2006. 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनाक 13.03.2006,1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006,13(1)एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
11. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में भू-प्रबन्ध विभाग हेतु आवंटित स्थायी योग्यता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में अवधारित होगी अर्थात उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ अभ्यर्थी से पूर्व अथवा पश्चात् में कार्यग्रहण किये जाने की स्थिति में वरियता क्रम अप्रभावित रहेगा।
13. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/ उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्डो/ विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।
14. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
15. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस/फर्जी/मिथ्या पाये जाते है तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
16. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagjeet Singh Monga
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.11.18 17:09:52 IST
Reason: Approved

17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
19. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
20. कार्मिक क(2) विभाग का परिपत्र दिनांक 11.05.2023 के अनुसार संविधान के प्रति शपथ का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके प.1 (2) प्र.सु./अनु.-3/2025-08916 राजकाज रेफरेंस नम्बर 17909069 एवं 17937081 दिनांक 23.09.2025 के क्रम में।
4. निजी सचिव,भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक,अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी/ संस्था द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु प्राप्त करने के लिए आपके कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को Authority letter तथा उनकी आईडी की फोटो प्रति के साथ व्यक्तिश: मुख्यालय में भिजवावे तथा उपर्युक्त अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक रूप से करे।
7. कोषाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी,भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
9. संस्थापन-प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय/ सामान्य शाखा।
10. आई टी प्रभारी, मुख्यालय को दी जाकर लेख है कि कार्यालय आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. संबंधित अभ्यर्थी..।
12. रक्षित पत्रावली।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagjeet Singh Monga
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.11.18 17:09:52 IST
Reason: Approved